न्यायालय : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश –सह– विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, भोजपुर, आरा।

SC/ST Case no. 213 of 2020

बिहियॉ थाना काण्ड संख्या – 288/2020
अंतगर्त धारा 323, 504, 379, 325/34 भा0द0वि0
एवं 3(i)(r) / 3(i)(s) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम, 1989।

राज्य
बनाम
कुंदन सोनार एवं अन्य

20.12.2022 प्रस्तुत काण्ड के अभियुक्त प्रदीप सोनार उर्फ प्रदीप कुमार वर्मा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अष्टभुज पाण्डे के अधिकार पत्र के साथ न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हुए जमानत का आवेदन समर्पित किया गया। आवेदन की प्रति विशेष लोक अभियोजक को दी गई है। अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया। आवेदन पर दोनो पक्षों को सूना।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि घटना तिथि दिनांक 12.08.2020 को समय करीब 01:00 बजे सूचक सुबास सोनार के दुकान में पत्नी का पायल खरीदने गया था कि वहॉ पर हरद्वार सोनार आये और बोलने लगे कि मारो साला गोड का मन बढ़ गया है। इतने में अभियुक्त कुंदन सोनार, चंदन सोनार, धन्नजय सोनार, नंदन सोनार, अशोक सोनार, प्रदीप सोनार, दिलीप सोनार, सुदामा सोनार अंधाधुध लाठी–डंडा से सुचक को मारने लगे। बीच–बचाव में आए सुबास सोनार, विपिन सिंह, विजय सोनार, गणेश प्रसाद, मनी प्रसाद एवं मनीष प्रसाद को भी अभियुक्तगण लाठी–डंडा से मार–पीट किये, कुंदन सोनार पिस्टल से फायर किये एवं सभी अभियुक्तों ने मिलकर उक्त जख्मियों का सर फोड़ दिये एवं उनका हाथ तोड़ दिये।

अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है, उनके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है बल्कि उन्हें मिथ्या फंसा दिया गया है। आवेदक अभियुक्त के द्वारा जमानत का दुरूपयोग करने की कोई संभावना नहीं है। उक्त आधार पर जमानत की प्रार्थना की गई।

जमानत के बिंदु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सूना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका 2 में सूचक का पुनः बयान, कंडिका 7, 18, 14 में साक्षीयों का बयान जो घटना का समर्थन करते है जबकि काण्ड दैनिकी के कंडिका 46, 47, 48 में

स्वतंत्र साक्षीयों का बयान है जो इस काण्ड में घटना का समर्थन नहीं करते है एवं अभियुक्त के विरूद्ध सामुहिक रूप से मार–पीट करने का आरोप है एवं अभियुक्त के उपर कोई विशेष आरोप नहीं है। आवेदक के स्वयं समर्पण करने की स्थिति में उनके फरार होने की संभावना बहुत ही कम है एवं उपरोक्त काण्ड में अनुसंधानकर्ता द्वारा दाखिल आरोप पत्र में अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति अधिनियम के अंतगर्त कोई आरोप नहीं पाया गया है एवं आरोप पत्र भारतीय दण्ड संहिता के जमानतीय अपराधो में ही समर्पित की गई है एवं काण्ड दैनिकी के पारा 64 में अभियुक्त प्रदीप सोनार उर्फ प्रदीप कुमार वर्मा को थाना के द्वारा 41(1) द0प्र0स0 के अंतगर्त नोटिस जारी किया गया तथा पारा 67 में आवेदक अभियुक्त प्रदीप सोनार उर्फ प्रदीप कुमार वर्मा को थाना से बंधपत्र पर मुक्त किया गया है एवं कंडिका 63 के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होने की बात दर्ज की गई एवं जख्म प्रतिवेदन में कोई भी जख्म पिस्टल के द्वारा कारित की हुई नहीं पाई गई है बल्कि जख्मी मनीमोहन वर्मा के उपर भोथड़े जख्म जो साधारण प्रकृति के है, वही डॉक्टर द्वारा पाई गई है एवं अभियुक्त के विरूद्ध सामुहिक रूप से मार–पीट करने का आरोप है एवं आदेश दिनांक 30.06.2022 एवं 05.09.2022 के द्वारा काण्ड के सह–अभियुक्त दिलीप कुमार उर्फ दिलीप सोनार एवं चंदन कुमार उर्फ चंदन सोनार और कुंदन कुमार उर्फ कुंदन सोनार को न्यायालय द्वारा आत्मसमर्पण के आधार पर जमानत की सुविधा प्रदान की गई है।

अतः मामले के उक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं अभियोग की प्रकृति जो अभियुक्त के विरूद्ध विशिष्ठ नहीं है एवं आवेदक अभियुक्त ने स्वयं ही न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है एवं अभियुक्त के विरूद्ध अनुसुचित जाति/जनजाति अधिनियम के अंतगर्त कोई आरोप नहीं बनता है एवं सह–अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जमानत दिये जाने के पश्चात् अभियुक्त के जमानत आवेदन को अस्वीकृत करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्त प्रदीप सोनार उर्फ प्रदीप कुमार वर्मा को उसकी ओर से 25,000/– रूपये की समान राशि के प्रतिभू के साथ दो जमानतदारों का जमानत बंधपत्र समर्पित करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त किसी भी प्रकार की आपराधिक किया कलाप में संलग्न नहीं होंगे।

लेखापित,

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।